



राजस्थान सरकार

राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर

राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर ☎ +91-141-2702477, 2702528

E-mail :- raj.madarsaboard@gmail.com



क्रमांक:एफ. रामबो/जय

दिनांक:

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव एवं अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के पत्र क्रमांक प:3 (2)अल्प. वक्फ/2017/आर के/00138/जयपुर दिनांक 11.02.2019 के द्वारा मदरसों को क्रमोन्नत करने हेतु जारी प्रशासनिक सहमति दिये जाने के अनुसरण में राजस्थान मदरसा बोर्ड में प्राथमिक श्रेणी में पंजीकृत मदरसों को उच्च प्राथमिक स्तर की श्रेणी में क्रमोन्नत करने हेतु संबंधित मदरसों के सदर/सचिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की पेनल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के आदेश क्रमांक F-REGISTRATION/RMB/2013/4069 DATE 10-10-2014 द्वारा मदरसों का पंजीयन एवं क्रमोन्नत करने की अनुमोदित की गई नीति के तहत समीक्षा कर योग्य पाए गए निम्नलिखित मदरसों को क्रमोन्नत करते हुए उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	पंजीयन संख्या	मदरसे का नाम व पता	मान्यता का स्तर/वर्ष
1	3790	मदरसा मेवात पब्लिक स्कूल, जैरोली रोड, तीतर का मोड़, किशनगढ़ बास, अलवर	उच्च प्राथमिक/2018-19
2	3467	मदरसा जामिया, रोज तुस्सालेहत, जाने की बेरी जखराणियों का पाडा पोस्ट गरडिया, तह0 रामसर, जिला बाडमेर	उच्च प्राथमिक/2018-19
3	1860	मदरसा अमानुल कुरान तहसील के पास दरगाह रोड सरवाड जिला अजमेर	उच्च प्राथमिक/2018-19
4	1541	मदरसा अंजुमन इस्लामियां प्रतापगढ़, मोहल्ला बावडी रोड, प्रतापगढ़	उच्च प्राथमिक/2018-19
5	2501	मदरसा ईदगाह (फुजैल हमदानी शिक्षण संस्थान) बडी ईदगाह, ईदगाह रोड लाडनू, जिला नागौर	उच्च प्राथमिक/2018-19
6	3543	मदरसा जयपुर एकेडमी रेगरो की कोठी घाटगेट नवाब का चौराहा जयपुर	उच्च प्राथमिक/2018-19
7	2979	मदरसा राजस्थान पब्लिक स्कूल, गांव गफेर नगर पोस्ट बडी उदेई तहसील गंगपुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर	उच्च प्राथमिक/2018-19
8	2667	मदरसा आईशा मोहल्ला इस्लामपुरा, वार्ड न.2 लक्ष्मणगढ़ तह. लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर	उच्च प्राथमिक/2018-19
9	3315	मदरसा अहले सुन्नत फैजे हिलबुल्ला, मेणुओं की बस्ती तह0 सम, जिला जैसलमेर	उच्च प्राथमिक/2018-19
10	3054	मदरसा इस्लामिया इंग्लिश एकेडमी स्कूल तहसील कार्यालय के पीछे, सीकर	उच्च प्राथमिक/2018-19

(Signature)

मदरसा प्रबंधन कमेटी को निम्न निर्देशों की पालना करनी होगी:-

1. पंजीयन एवं क्रमोन्नत करने की नीति दिनांक 10.10.2014 एवं संशोधन नीति 06.04.2018 में वर्णित मापदण्डों को बनाए रखना होगा।
2. मदरसे के नाम से बैंक में खाता खुलवाना होगा जिसमें प्रत्येक समय बैंक में रुपये 10000/- की सावधि जमा रखनी होगी।
3. राजस्थान मदरसा बोर्ड एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की पालना करनी होगी। साथ ही मदरसे में अध्यनरत बच्चों का नामांकन पंजीका, उपस्थिति पंजीका एवं कार्यरत शिक्षा सहयोगियों की उपस्थिति पंजीका संधारित करनी होगी।
4. राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिकारियों एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निरीक्षण के समय उपस्थित रहकर मांगी गई सूचनाएं एवं रिकार्ड उपलब्ध कराना होगा।
5. राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई भौतिक सामग्री का स्टॉक रजिस्टर संधारित करना होगा एवं सहायतार्थ अनुदान राशि का रिकार्ड रखना होगा।

यह आदेश राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त जारी किये जाते हैं।

2d-

सचिव

राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

क्रमांक:एफ. रामबो/जय 15218-33

दिनांक: 8/3/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग।
5. निदेशक, एम.डी.एम. जयपुर।
6. संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी.....
7. सदर/सचिव मदरसा.....
8. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा आदेश वेबसाईट पर अपलोड करें एवं संबंधित को ई-मेल करना सुनिश्चित करें।
9. निजी पत्रावली।

सचिव

राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर